


मिसिल संख्या जेड.60011/06/2020-सीवीएसी

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

सीवीएसी अनुभाग



Priss



निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 09 मार्च, 2021

To,

Sh. Anurag Sinha,

विषय: आरटीआई अधिनियम, २००५ के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के संबंध में।

महोदय,

कृपया आप अपनी आर.टी.आई. एमओएचएफडब्ल्यू/आर/ई/21/00630, आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के संदर्भ ले जोकि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 27.02.2021 को प्राप्त हुआ था जिसमें आर.टी.आई.(RTI) अधिनियम, २००५ के तहत जानकारी मांगी गई है

संख्या क्रम	आवेदक के प्रश्न	उत्तर
i.	कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य, जबरदस्ती	कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है।
ii	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर सारी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जायगी, सरकारी योजना पेंशन	आवेदन मे लिखी बातें निराधार है । किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई सम्बन्ध नहीं है ।
iii	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी नहीं मिलेगा, ट्रेन, बस, मेट्रो मे घड़ने नहीं मिलेगी	
iv	यदि कोई ias ips स्वास्थ्य या पुलिस कर्मचारी नागरिक को धमकी दे की वैक्सीन ले नहीं तो ये कर देगे तो नागरिक क्या कर सकती क्या कोर्ट जा सकते है	
v	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली कनेक्शन, राशन आदि के लिए क्या वैक्सीन नहीं मिलेगे	
vi	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी से निकला जा सकता है वेतन रोका जा सकत है, निजी और सरकारी विभाग दोनों मे ।	

o/c

2. यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो सुश्री, सुनीता नायर, उपसचिव, (सी. वी. ए. सी.), क.न. 435 सी.-विंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भवन भवन, नई दिल्ली से इस उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। वो इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी हैं।

भवदीय

सरूप सिंह  
(सरूप सिंह)

अवर सचिव और सीपीआईओ, भारत सरकार  
दूरभाष न: ०११-२३०६२९५९

प्रति सूचनार्थ हेतु:

वाडा 21

1. अनुभाग अधिकारी, आरटीआई सेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आर.टी.आई. फ.सं. एफटी/60011 एमओएचएफडब्ल्यू/आर/ई/21/00630, दिनांक 27.02.2021 के संदर्भ में।
2. अवर सचिव (प्रति.), स्वा.एवंम प.क.मंत्रालय

Piss

File No. A.50011/06/2020-CVAC  
Government of India  
Ministry of Health & Family Welfare  
(COVID-19 Vaccine Administration Cell)



Nirman Bhawan, New Delhi-110011  
Dated 24<sup>th</sup> March, 2021

साधारण डाक द्वारा  
BY ORDINARY POST

**Subject: -Information sought under RTI Act 2005 - reg.**

Sir,


Please refer to your RTI application Registration No. MOHFW/R/E/21/00833, dated 13.03.2021, seeking information under RTI Act, 2005. The information in respect of Covid Vaccine Administration Cell, MoHFW is as under:

संख्या क्रम	आवेदक के प्रश्न	उत्तर
i.	कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद क्या हमारे दिमाग और हाथ में टैटू चिप और न्यूरोलॉजिक चिप लगाया जाएगा क्या जो चिप नहीं लगायेंगे उनका सरकारी सुविधा बंद कर दिया जाएगा उनको भूखे मर दिया जाएगा	आपके प्रश्न अफवाहों पर आधारित हैं. कोरोना की वैक्सीन लेना या न लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है
ii	सुनने में आ रहा है की जो भी व्यक्ति नहीं लेगे जिनके पास कोरोना वैक्सीन डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको खाने पीना बंद कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा उनको भूखे मर दिया जाएगा और सरकार के द्वारा टॉर्चर किया जाएगा	
iii	क्या भारत सरकार पुलिस सेना की मदद से जनता को मार मार के कोरोना वैक्सीन लगवेंगी डंडे और बंदूक की नोक पर	मास्क पहनना सभी के लिए ज़रूरी है।
iv	जिनको मास्क पहनने पर अस्थमा दमा या दम पुटने जैसा लगता है क्या उनको भी कंपलसरी है मास्क पहनना	
v	क्या जिनके पास कोरोना का डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं होगा उनका ट्रावल बैन कर दिया जाएगा। क्या जो नहीं लेगे उनको सरकार मानसिक शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई की मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देगी	प्रश्न अफवाहों पर आधारित हैं. कोरोना की वैक्सीन लेना या न लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है.

etc

2. If you are not satisfied with the above reply, an appeal can be made to Mrs. Sarita Nair, Deputy Secretary(CVAC), R. No. 435-C Wing, (Tel. No. 011-23061554), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan - 110011 within 30 days of receipt of this reply, who is the appellate authority in this matter.

Yours faithfully,



(Saroop Singh)

Under Secretary to the Govt. of India & CPIO  
Phone: 23062959

Copy to:-

- 24 B/21*
1. Section Officer, RTI Cell, MoHFW, Nirman Bhawan w.r.t. RTI Application No. MOHFW/R/E/21/00833, dated 13.03.2021.
  2. Guard file.



Mr. Anurag Sinha,

Subject: -Information sought under RTI Act 2005 - reg.

Sir,

Please refer to your RTI application Registration No. MOHFW/R/E/21/00815, dated 12.03.2021, seeking information under RTI Act, 2005. The information in respect of Covid Vaccine Administration Cell, MoHFW is as under:


संख्या क्रम	आवेदक के प्रश्न	उत्तर
i.	Corona Vaccine लेने पर यदि किसी को मौत हो जाती है या साइड इफेक्ट होता है जो कौन जिम्मेवार होगा सरकार या वैक्सीन कंपनी क्या परिवार को मुआवजा दिया जाएगा	आपके सारे प्रश्न अफवाहों पर आधारित हैं चूंकि कोरोना की वैक्सीन लेना या न लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है अतः एव सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
ii.	सोशल मीडिया पर न्यूज़ आ रही है जो वैक्सीन नहीं लेगा उसका सैलरी रोक दिया जाएगा नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा	
iii.	क्या अब घर से बाहर निकलने के लिए corona टीका का डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसके पास नहीं होगा उनको निकलने नहीं दिया जायेगा जो निकलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जायेगा	
iv.	जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं होगा उसका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा	
v.	जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा उसको हर सरकारी तरीके से प्रताड़ित किया जायेगा	
vi.	जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको स्कूल, कॉलेज, university में एडमिशन नहीं होगा	
vii.	जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वह कोई भी जॉब नहीं कर पाएगा	

2. If you are not satisfied with the above reply, an appeal can be made to Mrs. Sarita Nair, Deputy Secretary(CVAC), R. No. 435-C Wing, (Tel. No. 011-23061554), Ministry of Health &

g/c

Family Welfare, Nirman Bhawan – 110011 within 30 days of receipt of this reply, who is the appellate authority in this matter.

Yours faithfully,



(Saroop Singh)

Under Secretary to the Govt. of India & CPIO  
Phone: 23062959

Copy to:-

1. Section Officer, RTI Cell, MoHFW, Nirman Bhawan w.r.t. RTI Application No. MOHFW/R/E/21/00815, dated 12.03.2021.
2. Guard file.



Select Language:

English

Public Authorities

RTI Online

Version 2.0

An Initiative of Department of Personnel &amp; Training, Government of India

[Home](#) [Submit Request](#) [Submit First Appeal](#) [View Status](#) [View History](#) [Login](#) [User Manual](#) [Contact Us](#) [FAQ](#)[Final Status of MOHFW/R/E/21/06831](#)

<b>Applicant Name</b>	Dadaso Vasant Kashid
<b>Date of receipt</b>	24/11/2021
<b>Request Filed With</b>	Department of Health & Family Welfare
<b>Text of Application</b>	Covid19 TIKKA VACCINE SWAICHIK HAINE YA SABHIKO KAMPLSIRI LENA HOGA YA SUBHIKO KAMPLSRI TIKKA DIYA JAYENGA. JIS VAIKTI NE TIKKA NAHI LIYA UOSKI SARKARI SUOVIDHA BAND HONGI KEYA TIKKA NA LENE VALE VAIKTO KO KISI BHI PARKAR KE JOB SE NIKALA JA SAKTA HAINE KEYA VACCINE HELTH UID NUMBER BANK ACCOUNT VAGERA SE YA ANYE DASTAVEJO PAR LINK KARVAYA JAYENGA KEYA .
<b>Request document (if any)</b>	
<b>Status</b>	<b>REQUEST DISPOSED OF</b> as on 24/11/2021
<b>Date of Action</b>	24/11/2021
<b>Remarks</b>	<p><b>Reply :-</b> आपका आरटीआई आवेदन RTI Cell, MoHFW/अन्य सीपीआईओ (CPIO) से प्राप्त हुआ है। जहां तक इस प्रकोष्ठ/कार्यालय अर्थात कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन प्रकोष्ठ (सीवीएसी)/अंडरहस्ताक्षरित सीपीआईओ का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि</p> <p>COVID-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है। हालांकि, इस बीमारी से खुद को बचाने के लिए COVID-19 वैक्सीन का पूरा शेड्यूल प्राप्त करना उचित है और इस बीमारी के प्रसार को परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों सहित करीबी संपर्कों तक पहुंचने से रोकना है।</p> <p>यह ध्यान दिया जा सकता है कि स्पष्टीकरण और काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है।</p> <p>COVID-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है। हालांकि, राज्य सरकार या जिला प्रशासन या अन्य कार्यालय द्वारा स्वयं या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम या किसी अन्य प्रावधान/विनियम/नियम आदि के तहत या निजी क्षेत्र, निजी कंपनियों, कार्यालय आदि द्वारा COVID-19 के लिए अनिवार्य टीकाकरण के संबंध में जारी किया गया कोई आदेश या नियम आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।</p> <p>यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं और अपील के लिए जाना चाहते हैं, तो आप श्री सचिन कुमार, उप सचिव और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से इस उत्तर की प्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।</p>
<a href="#">Print</a>	

[Home](#) | [National Portal of India](#) | [Complaint & Second Appeal to CIC](#) | [FAQ](#) | [Policy](#)

Copyright © 2021. All rights reserved. Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, New Delhi and Contents Owned by DOP&amp;T